

FORM NO -III

फर्द-अहकाम
(नियम-26)

अज अदालत कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, मुकाम नागौर

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड, 19-ए झुलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड़, जयपुर 302001 राजस्थान द्वारा प्राधिकृत अधिकारी धमेन्द्र गहलोत पुत्र श्री प्रेमराज गहलोत, प्राधिकृत अधिकारी, एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड, 19-ए झुलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड़, जयपुर 302001		<ol style="list-style-type: none"> घनश्याम बागड़ी पुत्र कानमलजी श्रीमती बाली पत्नि घनश्याम बागड़ी निवासीगण 41, माली मौहल्ला, परबतसर, वार्ड नम्बर 7 जिला नागौर-341512 गोविन्द पुत्र घनश्याम बागड़ी निवासी 197, माली मौहल्ला, परबतसर, वार्ड नम्बर 7 जिला नागौर-341512 कानमल पुत्र राधाकिशन निवासी 80, माली मौहल्ला, परबतसर वार्ड नम्बर 7 जिला नागौर-341512 <p>दूसरा पता-कानमल, सम्पत्ति जो स्टेशन रोड पर स्थित है, परबतसर जिला नागौर।</p> <ol style="list-style-type: none"> गणेश पारासर पुत्र दुर्गाप्रसाद पारासर, 80 धोतो मौहल्ला, वार्ड नम्बर 07 परबतसर जिला नागौर-341512

किस्म मुकदमा -सिक्वोरिटार्डिजेशन एक्ट 2002, प्रार्थना पत्र संख्या 63 सन् 2022

G.C.M.S. Portal No-2022/82

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए
10.03.22	<p>प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र वित्तीय आस्तियों का-प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत बंधक सम्पत्ति का अप्रार्थी से कब्जा लेकर प्रार्थी को सुपुर्द करने के आदेश प्रदान करने बाबत प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। पत्रावली वास्ते सुनवाई प्रार्थी दिनांक 21.03.2022 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">जिला मजिस्ट्रेट, नागौर</p> <p>21/3/22 प्रार्थी श्री धमेन्द्र गेहलोत उपस्थित। प्रार्थी को सुना गया। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र को Note Press करते हुए कथन किया कि वह इस प्रकरण को आगे चलाना नहीं चाहते है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र Note Press करने के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। अतः पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं दाखिल दफ्तर हो।</p> <p style="text-align: center;">(पीयूष समारिया) जिला मजिस्ट्रेट, नागौर जिला मजिस्ट्रेट नागौर</p>	<p>Not Press</p> 

